शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) जी, नहीं। वृहद योजनाएं अपने-अपने नगर नियोजना/शहर सुधार/विकास प्राधिकरण अधिनियमों और इस सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा जारी मार्गनिदेशों के अनुसार राज्य सरकारों/सम्बंधित स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की जाती है।

वृहद योजना अपने आप में साधारणत: भू-प्रयोग, क्षेत्रीय आयोजना और परिवहन नेटवर्क स सम्बन्धित है।

Land for Schools in Pitampura

3510. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that four pieces of land were allocated for a Higher Secondary School and three lower level schools in Kohat House Building Society in Pitampura, Delhi;

(b) whether it is also a fact that none of these schools have been constructed there even after twelve years of allotment thus compelling children in this colony and adjoining colonies to go to distant schools;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether it is also a fact that Govt. are considering a proposal for allotment of a part of the land meant for Higher Secondary School for residential purposes to a group of persons on a bogus waiting list drawn by the society in connivance with the office of Registrar and DDA officials; and

(e) if so, whether Government propose to look into the matter and institute an enquiry into the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) In the layout plan for Kohat House Building Society, one site for Higher Secondary school and three sites for nursery schools have been earmarked.

(b) and (c) Only one site for Higher Secondary School was allotted to the Directorate of Education, Delhi Administration in February, 1984. Information regarding the construction of building is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) No, Sir.

(t) Does not arise.

पुरानी दिल्ली क्षेत्र में गन्दगी

3511. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुरानी दिल्ली में विशेषकर जामामस्जिद के आसपास गन्दगी और अस्वास्थ्यकर स्थिति के व्याप्त होने की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) और (ख) जामा मस्जिद क्षेत्र, मच्छली, मुर्गे तथा मांस के विक्रय तथा भण्डारण के लिए एक बहुत वाणिज्यिक थोक-विक्रय बाजार है जिसके कारण कूड़ा-करकट निरन्तर इकट्ठा होता रहता है। तथापि, दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सफाई-कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है तथा सफाई कर्मचारियों को समूहों में लगाकर प्रति दिन पूरे क्षेत्र की सफाई की जाती है। इस क्षेत्र में विशेषकर डलाव (कूड़ा-कचरा संग्रहण स्थल) तथा सार्वजनिक सुविधाओं के पास-पास रोगाणुनाशक दवाओं का रोजाना प्रयोग किया जाता है। यह उल्लेख किया जाता है कि कूड़ा-करकट के कारण जामा मस्जिद क्षेत्र में किसी प्रकार की अस्वास्थ्यकर स्थितियां नहीं हैं। तथापि, मछली, मुर्गे, पक्षियों को लाने वाली गाड़ियों का सतत् यातायात ही कूड़ा-करकट का एक नियत स्रोत है।